संख्या -14011/02(जी)/2025-आईपीएस.I (E)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(आईपीएस I) अनुभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : 14.07.2025

सेवा में,

(I) सचिव,
संघ लोक सेवा आयोग
धौलपुर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली

(II) गृह मंत्रालय
(श्री राकेश कुमार सिंह, अवर सचिव, (UTS-I)
UT प्रभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

विषय: भारतीय पुलिस सेवा के एजीएमयूटी संवर्ग (गोवा खंड) में राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की चयन सूची वर्ष 2024 में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए रिक्तियों का निर्धारण।

महोदय,

मुझे, उपरोक्त विषय पर UT प्रभाग, गृह मंत्रालय के OM संख्या I -14016/01/2025- UTS-I दिनांक 09.07.2025 का संदर्भ देने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के एजीएमयूटी संवर्ग (गोवा खंड) में राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की चयन सूची वर्ष 2024 में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए 01 रिक्ति का निर्धारण करने का अनुरोध किया है।

2. पिछली चयन सूची वर्ष 2022 के लिए तैयार और अंतिम रूप दी गयी थी। इस संदर्भ में यह भी विदित है कि इस मंत्रालय ने पत्र दिनांक 02.07.2024 के द्वारा वर्ष 2023 के लिए 01 रिक्ति का निर्धारण किया था। UT प्रभाग, गृह मंत्रालय ने OM दिनांक 05.09.2024 के द्वारा सूचित किया था कि वर्ष 2023 की चयन सूची के लिए संयुक्त एजीएमयूटी कैडर (गोवा खंड) के आईपीएस में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए फीडर ग्रेड में कोई भी अधिकारी विचार करने के पात्र नहीं है। अतः वर्ष 2023 के रिक्ति को चयन सूची 2024 या आगे के चयन सूची के लिए अग्रेषित किया जा सकता है।

3. UT प्रभाग, गृह मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय पुलिस सेवा के एजीएमयूटी संवर्ग (गोवा खंड) में अधिकृत पदोन्नति कोटा 01.01.2025 को **04** थी जिसके विरुद्ध निर्धारित तिथि को **03** पदाधिकारी सेवा में हैं और **01** पद रिक्त हैं। यह रिक्ति वर्ष 2023 की चयन सूची के लिए संयुक्त एजीएमयूटी कैडर (गोवा खंड) के आईपीएस में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए फीडर ग्रेड में कोई भी अधिकारी विचार करने के पात्र नहीं होने के कारण उत्पन्न हुई है।

4. अतः भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 4(2)(बी) के साथ भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 5(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, भारतीय पुलिस सेवा के एजीएमयूटी संवर्ग (गोवा खंड) में राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की चयन सूची वर्ष 2024 में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए **01 (एक)** निर्धारित की जाती हैं।

5 . UT प्रभाग, गृह मंत्रालय और आयोग से भारतीय पुलिस सेवा के पदोन्नति विनियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।

भवदीय,

(संजीव कुमार)
भारत सरकार के अवर सचिव
दूरभाष: 23094517

प्रतिलिपि: वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (एनआईसी) को उपर्युक्त अधिसूचना को शीर्षक **चयन सूची 2024**- एजीएमयूटी संवर्ग (गोवा खंड) के तहत वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु (under link – **"https://www.ips.gov.in/Vac_AGMUTGoa.aspx"**